रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062021-227384 CG-DL-E-04062021-227384

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2006] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2021/ज्येष्ठ 14, 1943 No. 2006] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2021/JYAISHTHA 14, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2021

का.आ. 2163(अ).—न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी (योग्यता, अनुभव, सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2020 की धारा 4 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.5.2021 के पत्र संख्या 9/17/2020 –ई ओ (एस एम-II) द्वारा संसूचित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को चार वर्षों के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक की अविध के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) में सदस्य के पद पर नियुक्त करती है:

क्रम सं.	माननीय सदस्य का नाम	न्यायिक / गैर-न्यायिक	एनसीडीआरसी में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री राम सूरत राम मौर्य	न्यायिक	17.05.2021
2.	श्री सुभाष चंद्रा	गैर-न्यायिक	24.05.2021

2. यह नियुक्ति बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में दायर की गई रिट याचिका संख्या 1573/2020 के परिणाम के अधीन होगी।

> [फा. सं. जे-1/5/2018- सीपीयू भाग (3)] अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

3004 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2021

S.O. 2163(E).— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Consumer Protection Act, 2019 read with rule 4 of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC), conveyed by Department of Personnel and Training vide communication No. 9/17/2020-EO(SM-II), dated 11.5.2021, the Central Government hereby appoints the following to the posts of Member, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) as per details given below, for a period of four years with effect from the date of assumption of the charge, or till attaining the age of 67 years, or until further orders, whichever is the earliest.

S. No.	Name of the Hon'ble Member	Judicial/Non-Judicial	Date of joining in NCDRC
1.	Sh. Ram Surat Ram Maurya	Judicial	17.05.2021
2.	Sh. Subhash Chandra	Non-Judicial	24.05.2021

2. The appointment is subject to the outcome of the Writ Petition No. 1573/2020 filed in the Bombay High Court, Nagpur Bench.

[F. No. J-1/5/2018- CPU Part (3)] ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.